"Say Yes to Life/Say No to Drugs"

Ch. Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya
Palampur – 176062 (H.P.) India
Office of the Registrar, General Administration Branch

☎: 01894-230383 Fax: 01894-230511 Email: registrar@hillagric.ac.in

संख्या. क्यू.एस.डी.8–28/2021/हि.प्र.कृ.वि. (सा.प्र.)/.दिनांकः
53831-917

प्रेषक 01 AUG 2022

कुलसचिव

प्रेषित

1. समस्त संविधिक अधिकारी, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यलय, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
3. समस्तप्रभारी वैज्ञानिक/कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र /क्षेत्रीय अनुसंधान उप केन्द्र /कृषि विज्ञान केन्द्र, चौ०स०कु०हि०प्र०कृषि विश्वविद्यालय ।

विषय : **प्रशासन में राजभाषा के कार्यान्वयन व हिंदीकरण सम्बन्धी रिर्पोट –पुरस्कार**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में मुझे निदेशक, भाषा एंव संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त पत्र संख्याः भासनी–3/99–हिन्दी दिवस–4029–4169 दिनांक 12.07.2022 की प्रति आप को भेजते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त पत्र द्वारा दिए गऐ आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें और हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का नाम उपरोक्त विभाग को भिजवाने की कृपा करें ।

भवदीय,
रविन्द्र सिंह 30/7/2022
उप कुलसचिव (सामान्यप्रशासन)
चौ०स०कु०हि०प्र०कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर ।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक : उपरोक्त
प्रतिलिपिः–

1. सह निदेशक सूचना एंव जन–संपर्क, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
2. उप कुलसचिव स्थापना/ शैक्षणिक /भर्ती शाखा, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय नैटवर्क सिस्टम, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को विश्वविद्यालय की वैबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित है
4. कुलपति /कुलसचिव महोदय के निजी सचिव, चौ०स०कु० हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।

रविन्द्र सिंह 30/7/2022
उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)
चौ०स०कु०हि०प्र०कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर ।

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
संस्कृति भवन, खण्ड–39, शि.वि.प्रा. परिसर,
कसुम्पटी, हिमाचल प्रदेश ,शिमला–09
दूरभाष 0177–2626616, फैक्स, 0177–2628789,
ई–मेल(अणुसंकेतक)–dirlculture@gmail.com, lac-dir.hp@nic.in

संख्या: भासनि–3 / 99–हिन्दी दिवस– 4029–4169. दिनांक: 12/7/2022

सेवा में

उप कुलपति
चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर जिला कांगड़ा हि०प्र०

विषयः प्रशासन में राजभाषा के कार्यान्वयन व हिंदीकरण सम्बन्धी रिपोर्ट–पुरस्कार।

महोदय,

आपको विदित ही है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में बढावा देने तथा इसके प्रयोग के आशय से सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1975 पारित किया गया है। अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिंदी में किए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कार्यालयों को समय–समय पर मार्गदर्शन तथा सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि सरकारी नीतियों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए प्रशासन में हिंदी का प्रयोग किया जाए ताकि आम आदमी उन्हें समझ पाए। किन्तु देखने में आया है कि अभी भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। हिंदी राष्ट्रभाषा होने पर भी सम्यक रूप से सरकारी कार्य में प्रयोग नहीं हो पा रही है। लगभग सभी विभागों के शासकीय कार्यों में हिंदी को उपेक्षित किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि भारतीय संघ की राजभाषा का सम्मान करते हुए आप अपने कार्यालय के समस्त कार्य हिंदी में निपटाने की व्यवस्था करवाएं।

भाषा एवं संस्कृति विभाग का सतत प्रयास रहा है कि प्रदेश में हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग राजभाषा समारोह के उपलक्ष्य पर पुरस्कृत करता रहा है जिससे कि राजभाषा प्रयोग के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रूचि और जागरूकता को बढाया जा सके। उम्मीद है कि इस प्रेरणा से प्रेरित होकर सरकारी काम–काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो पाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य हिंदी में करें तथा संलग्न प्रपत्र पर 01.07.2021 से 30.06.2022 तक की हिंदी कार्यान्वयन प्रतिशतता तथा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के नाम इस विभाग को 31 जुलाई, 2022 तक अवश्य भिजवाने की कृपा करें। आप द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर विभाग के अधिकारी किसी भी समय आपके कार्यालय में आकर हिंदी में किए जा रहे कार्य का औचक निरीक्षण कर सकते है।

भवदीय

डॉ. पंकज ललित(हि.प्र.से.)
निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

CSK HPKV Krishi Vishva Vidyalaya Palampur
D. No. 1611
Date 27/7/22
REGISTRAR

कुलसचिव
उप कुलसचिव (सा० शा०)
27/7/2022

SO(Admn)
27/7/2022

कुलसचिव

कुलपति
26/7/2022

हिंदीकरण संबंधी रिपोर्ट

(क) 1. विश्वविद्यालय का नाम...

2. 1.7.2021 से 30.06.2022 तक प्राप्त कुल पत्र– हिंदी.....................अंग्रेजी....................

3. 1.7.2021 से 30.06.2022 तक प्राप्त पत्रों की पत्रों की प्रतिशतता– हिंदी.....................अंग्रेजी..................

4. 1.7.2021 से 30.06.2022 तक प्रेषित पत्रों की संख्या– हिंदी.....................अंग्रेजी.................

5. 1.7.2021 से 30.06.2022 तक प्रेषित पत्रों की प्रतिशतता– हिंदी.....................अंग्रेजी..................

6. कार्यालय के नाम पट्टिकाओं की प्रतिशतता– हिंदी.....................अंग्रेजी.................

7. कार्यालय के नाम पट्टिकाओं की भाषा– हिंदी.....................अंग्रेजी.................

8. कार्यालय में हिंदी टिप्पणी की प्रतिशतता– हिंदी.....................अंग्रेजी................

9. कार्यालय में कुल हिंदी कार्य की प्रतिशतता– हिंदी.....................अंग्रेजी...........

(ख) अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा–

हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी का नाम...

और पदनाम...

	कुल अंक	प्रदत अंक
1. हिंदी में कार्य करने की सूझबूझ एवं क्षमता–	10	
2. कार्यालय टिप्पण/प्रारूपण हिंदी में करने की दक्षता–	10	
3. कार्यालय के दैनिक कार्य को सभी स्तरों पर हिंदी में निपटाने का तरीका–	10	
4. हिंदीकरण के प्रति अन्य कर्मचारियों को प्रेरित करने का कौशल–	10	

(ग) कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा–

हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम...

और पदनाम...

	कुल अंक	प्रदत अंक
1. हिंदी में कार्य करने की सूझबूझ एवं क्षमता–	10	
2. कार्यालय टिप्पण/प्रारूपण हिंदी में करने की दक्षता–	10	
3. कार्यालय के दैनिक कार्य को सभी स्तरों पर हिंदी में निपटाने का तरीका–	10	
4. हिंदीकरण के प्रति अन्य कर्मचारियों को प्रेरित करने का कौशल–	10	
5. हिंदी टंकण में दक्षता–	10	

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर